भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4901

01 अप्रैल, 2025 को उत्तरार्थ

विषय : मेगा सब्जी मंडी और कृषि मंडियों की स्थापना

4901. श्री विजय बघेलः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भिलाई निर्वाचन क्षेत्र में स्थित मेगा इस्पात संयंत्र और अन्य संबद्ध उपक्रमों, जो लोगों के लिए लाखों रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं, के आसपास किसानों और अन्य उत्पादकों के कृषि उत्पादों, डेयरी उत्पादों, मत्स्य और मांस उत्पादों की बिक्री के लिए मेगा सब्जी मंडी और कृषि मंडियों का अभाव है, जिसके कारण किसानों को अपनी उपज की बिक्री और खरीद में अत्यधिक असुविधा का सामना करना पड़ता है;

(ख) क्या उक्त क्षेत्र में लोगों को अवसंरचनात्मक सुविधा उपलब्ध कराने के मद्देनजर मेगा सब्जी और कृषि मंडी स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो दुर्ग जिले के रिसाली नगर निगम के वार्ड सं. 33 नोवई कॉलोनी के सामने खाली पड़ी जमीन पर कब तक मेगा सब्जी और कृषि मंडी स्थापित किए जाने की संभावना है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ग): कृषि विपणन, राज्य का विषय है तथा कृषि उपज मंडी समितियों (एपीएमसी) को राज्य की संबंधित, राज्य कृषि उपज मंडी समिति अधिनियम के तहत विनियमित किया जाता है। राज्य, उत्पादन, विपणन योग्य अधिशेष और व्यापारियों की मौजूदगी आदि के आधार पर आवश्यकता का आकलन करने के बाद बाजार स्थापित करते हैं।

छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड से प्राप्त जानकारी के अनुसार, दुर्ग जिले में कृषि उपज मंडी समिति, दुर्ग के परिसर तथा धमधा ब्लॉक में दो फल एवं सब्जी मंडी स्थापित हैं। इसके अलावा, कुम्हारी में, एक फल एवं सब्जी मंडी निर्माणाधीन है। राज्य बोर्ड द्वारा यह भी बताया गया कि दुर्ग जिले में रिसाली नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 33, नोवई कॉलोनी के सामने खाली पड़ी जमीन पर मेगा सब्जी एवं कृषि मंडी स्थापित करने की कोई योजना या स्कीम नहीं है।

*****